सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 8 / 2014

1 मीनू देवी पत्नी नवरंगलाल सैनी जाति माली निवासी आनन्द नगर
2 कमला देवी पत्नी श्री मंगलचन्द सैनी जाति माली निवासी समर्थपुरा जयपुर झुंझुनू बाई पास महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल के पास सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हणमान पुत्र बोदुराम जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा जयपुर झुंझुनू बाई पास मारूति सर्विस सेंटर के सामने सीकर।
2 भागीरथमल जाखड़ एडवोकेट चेम्बर नम्बर 11 कोर्ट परिसर सीकर।
3 तहसीलदार सीकर भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.04.2013 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सीकर मुकदमा नम्बर 354 / 2007
उनवानी हणमान बनाम रिछपाल

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेश सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—23.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 354/2007 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 354/2007 में हणमान पुत्र बोदु, कमला पत्नी मंगलचन्द व रिछपाल पुत्र कालु के मध्य विचाराधीन निर्णय से भूमि खसरा नम्बर 1382/1874, 874/1045, 874/1042,874/1043, 873 के विभाजन का निर्णय व डिक्री पारित किया है। इससे व्यथित होकर मीनु देवी की और से क्रोस ऑबजेक्शन प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि मुताबिक राजीनामा अधिनस्थ न्यायालय की फाईनल डिक्री संशोधन कर रेस्पोडेंट हणमान की वर्तमान खातेदारी 0.065 हैक्टेयर बढ़ा दी जावे तथा इसी अनुरूप क्रोस ऑबजेक्शनकर्ता कमला व मीनू की खातेदारी 0.88 हैक्टेयर में से 0.065 हैक्टेयर रिकार्ड में कम किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया। इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया उभयपक्ष ने सही होना स्वीकार किया। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण ने की इस पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री में संशोधन करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि मुताबिक राजीनामा अधिनस्थ न्यायालय की फाईनल डिक्री संशोधन कर रेस्पोडेंट हणमान की वर्तमान खातेदारी 0.065 हैक्टेयर बढ़ा दी जावे तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसी अनुरूप क्रोस ऑबजेक्शनकर्ता कमला व मीनू की खातेदारी 0.88 हैक्टेयर में से 0.065 हैक्टेयर रिकार्ड में कम किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया। इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया उभयपक्ष ने सही होना स्वीकार किया। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण ने की इस पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

चूकि विचाराधीन अन्तिम डिक्री में मुताबिक राजीनामा संशोधन डिक्री जारी करने हेतु उभयपक्ष सहमत है। अत उभयपक्ष की प्रार्थना स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है किः–

विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा वाद सख्या 354/2007 में पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 22.04.2013 बउनवानी हणमान बनाम रिछपाल में संशोधन किया जाकर रेस्पोडेंट हणमान के हिस्से में दिया गया रकबा 0.8800 हैक्टेयर में अतिरिक्त 0.065 हैक्टेयर रकबा क्रोसऑबजेक्शनकर्ता कमला व मीनु की खातेदारी 0.88 हैक्टेयर में से कम किया जाकर हणमान के हिस्से में बढ़ाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर